Ay
1

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 12/2017 **वर्ष 2017**
आरसीएमएस संख्या 2017/000173
बउनवानीः–

1. रामकिशन पुत्र जयनारायण मीना, निवासी पीपलवाडा ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति कमला पत्नि जयनारायण मीना,निवासी पीपलवाडा,तह0व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी पांचोलास,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये(उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व मिसल संख्या 02/2000 मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 23.5.2000 द्वारा उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः–1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल वकील प्रार्थीगण
2. श्री महावीर जाट पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 1.4.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.5.2000 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम पीपलवाडा के निवासी है एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है। यह कथन भी किया कि आराजी ख0न0 91 वाके ग्राम मानराजपुरा तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित है जो काफी बडा रकबा है एवं सिवायचक रहा है। जिसमे विभिन्न लोगो को जरिये आवंटन भूमि आवंटित की गयी है। विपक्षी दुर्गालाल को भी उक्त ख0न0 में एक बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित बतायी गयी है। जो विधि विरूद्व था क्योंकि आवंटन के समय दुर्गालाल भूमिहीन व्यक्ति नही था एवं उसके खाते में काफी जमीन थी। लिहाजा दुर्गालाल भूमिहीन व्यक्ति नही होने के कारण उसके नाम किया गया आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन के समय धारा 5 के अनुसार ना तो कोई अनओकेपोईड भूमि की सूची तैयार की गयी ना ही धारा 7 के अनुसार कोई उद्घोषणा जारी की गयी ऐसी सूरत में यह आवंटन विधि विरूद्व है। यह कथन भी किया कि दुर्गालाल द्वारा जो आवेदन पत्र विपक्षी संख्या 2 को देना बताया गया है वह अपूर्ण है उसमें समस्त कॉलम खाली पडे है। रिपोर्ट पटवारी में दर्ज है कि वरवक्त आवंटन दुर्गालाल के खाते में भूमि है जिससे साबित होता है कि वरवक्त आवंटन दुर्गालाल भूमिहीन नही था ऐसी सूरत में यह आवंटन नियम विरूद्व है। यह कथन भी किया कि आवंटन रूल्स 13 के अनुसार कोरम पूरा नही था जिसके कारण आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि दुर्गालाल को आवंटन

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

23.5.2000 को किया जाना बताया गया एवं कब्जा दिनांक 8.7.2000 को देना बताया गया है कब्जा रिपोर्ट पर गिरदावर के हस्ताक्षर नही है जबकि सही तथ्य यह है कि दुर्गालाल को कभी मौके पर कब्जा दिया ही नही गया ना ही दुर्गालाल का मौके पर कोई कब्जा है। लिहाजा कब्जे के अभाव में किया गया उक्त आवंटन खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि दुर्गालाल को आवंटित भूमि ख0न0 91 के नये नम्बर ख0न0 7/1 रकबा 0.38 है0 बनाया गया है लेकिन इस नम्बर पर आज तक भी दुर्गालाल का कब्जा नही है बल्कि प्रार्थीगण का कब्जा है इस प्रकार उक्त आवंटन अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे आता है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन आदेश का कोई इल्म नही था क्योंकि प्रार्थीगण ख0न0 7/1 पर काबिज है सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 11.6.2015 को तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उनवानी रामकिशन बनाम सरकार में प्रेषित रिपोर्ट को पढ़ने पर दिनांक 20.3.2017 को प्राप्त हुई है। आवंटन आदेशों को निरस्त करने की कोई मियाद नही होती है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 23.5.2000 को निरस्त किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

चूंकि अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है किन्तु आवंटन सलाहाकर समिति की ओर से बहस पैरोकार राजस्व की सुनी गयी। पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी दुर्गालाल के पक्ष मे किया गया आवंटन विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। क्योंकि वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन मे अप्रार्थी को भूमिहीन नही बताया गया है किन्तु यह भी नही बताया कि आवंटी के खाते में वरवक्त आवंटन कितनी भूमि थी जिसके कारण वह भूमिहीन नही था। जहॉ तक कब्जा रिपोर्ट पर गिरदावर के हस्ताक्षर नही है तो केवल इस आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। आवंटन सलाहकार समिति की कौरम भी पूर्ण है क्योकि पांच सदस्यों की कोरम में से 2/3 सदस्य होना आवश्यक है जो उक्त आवंटन आदेश की आवंटन सलाहकार समिति में मौजूद थे। मुताबिक कब्जा रिपोर्ट आंवटि को 8.7.2000 को आवंटित भूमि का कब्जा सम्भलाया गया जिसके आधार पर कब्जा होने की पुष्टि हो जाती है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी को उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है तथा इतने वर्षो बाद केवल उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया हो। किन्तु उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। तथा उक्त आवंटित भूमि को लेकर उपजिला कलेक्टर न्यायालय में 136 एलआरएक्ट को वाद विचाराधीन है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी दुर्गालाल के पक्ष मे दिनांक 23.5.2000 को विधिवत किये आवंटन को यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी को भूमिहीन नही होना कथन किया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हों। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन की पृष्टि में ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व होता हो कि आवंटी दुर्गालाल को दिनांक 23.5.2000 को किया गया आवंटन विधिविरूद्व है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि का आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित आराजीयात को लेकर प्रार्थी द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रकरण पेश किया गया था जो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी दुर्गालाल के पक्ष किये गये आवंटन आदेश दिनांक 23.5.2000 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:40:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: